पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 134/2018

अनवान :

1. प्रदीप कुमार पुत्र लीलूराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. लीलूराम पुत्र राजकरण जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़)
2. गुड्डी देवी पत्नि लीलूराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़)
3. रेणु पुत्री लीलूराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़)
4. मिनाक्षी पुत्री लीलूराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़)
5. रवीना पुत्री लीलूराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 श्री सुनील धुवा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कणाऊ खाता सं0 153/231 के खसरा सं0 23 की 8.485 है0 खसरा सं0 213 की 3.958 है0 खसरा सं0 294 की 17.414 है0 खसरा सं0 529 की 2.087 है0 खसरा सं0 539 की 2.643 है0 खसरा सं0 625/215 की 3.288 है0 खसरा सं0 652/19 की 1.391 है0 कुल 39.266 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 लीलूराम 2726–1/4 हिस्सा में 1/6 हिस्सा बारानी खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी प्रदीप कुमार व प्रतिवादी सं0 1 दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वाद कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 के नाम से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.6.18........ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 134/2018

अनवान :

1. प्रदीप कुमार पुत्र लीलूराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. लीलूराम पुत्र राजकरण जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़)
2. गुड्डी देवी पत्नि लीलूराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़)
3. रेणु पुत्री लीलूराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़)
4. मिनाक्षी पुत्री लीलूराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़)
5. रवीना पुत्री लीलूराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : **वादी**

वकील श्री सुनील धुवा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 5**

निर्णय **दिनांक :** 13.6.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा कणाऊ खाता सं0 153/231 के खसरा सं0 23 की 8.485 है0 खसरा सं0 213 की 3.958 है0 खसरा सं0 294 की 17.414 है0 खसरा सं0 529 की 2.087 है0 खसरा सं0 539 की 2.643 है0 खसरा सं0 625/215 की 3.288 है0 खसरा सं0 652/19 की 1.391 है0 कुल 39.266 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 लीलूराम 2726–1/4 हिस्सा में 1/6 हिस्सा बारानी खातेदारी दर्ज है जो कि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है और वादी के दादा राजकरण के समय की है। राजकरण की मृत्यु होने के बाद वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 लीलूराम के कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज हो गई। प्रतिवादी सं0 2 ता 5 ने उक्त वर्णित कृषि भूमि में अपना हक व सम्पूर्ण हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में तर्क कर शुन्य कर लिया था। उक्त वादभूमि रोही कणाऊ के खाता सं0 153/231 की कुल 39.266 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 लीलूराम 2726–1/4 हिस्सा में 1/6 हिस्सा बारानी खातेदारी दर्ज है में वादी प्रदीप कुमार 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 लीलूराम 1/2 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के कानूनी अधिकारी है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनु.)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 5 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है। प्रतिवादी सं0 6 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में प्रदीप कुमार पुत्र लीलूराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ खाता सं0 153/231 सम्वत् 2072–75 की प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम कणाऊ प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम कणाऊ प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है उनमें वाद भूमि वादी के दादा राजकरण वल्द काना के नाम दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में लीलूराम के वारिसान में पत्नी गुड्डीदेवी, एक पुत्र प्रदीप कुमार व तीन पुत्रियां रेणु, मिनाक्षी, रवीना होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कणाऊ खाता सं0 153/231 के खसरा सं0 23 की 8.485 है0 खसरा सं0 213 की 3.958 है0 खसरा सं0 294 की 17.414 है0 खसरा सं0 529 की 2.087 है0 खसरा सं0 539 की 2.643 है0 खसरा सं0 625/215 की 3.288 है0 खसरा सं0 652/19 की 1.391 है0 कुल 39.266 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 लीलूराम 2726–1/4 हिस्सा में 1/6 हिस्सा बारानी खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी प्रदीप कुमार व प्रतिवादी सं0 1 दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वाद कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 के नाम से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़